SHORT DURATION DISCUSSION
On the Situation in Assam and Bihar due to Railway Recruitment Policy—Contd.

SHRI C. APOK JAMIR (Nagaland): Sir, I had given my name to speak on this issue. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister to reply. (*Interruptions*) The discussion is over. बोलिए, बोलिए (*Interruptions*)

SHRI C. APOK JAMIR: Sir, I just want two minutes. (*Interruptions*)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, he is from Nagaland. (*Interruptions*)

SHRI C. APOK JAMIR: Sir, I had no objection when my colleague, Shri Rajeev Shukla took over. I should be given two minutes, Sir.

[The Vice-Chairman, (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair].

SHRI C. APOK JAMIR: Sir, I will make it very short, since there is no time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): You have been given chance because of the permission given by the hon. Chairman. Please conclude in two minutes.

SHRI C. APOK JAMIR: Sir, first and foremost, I would like to condemn the violence in Assam and other parts of the country which had occurred due to the recruitment policy of the Railways. Now, if you look at the whole issue, in totality, Sir, we know that the region itself is a very sensitive region and it has been there like an active volcano just about to erupt. Unfortunately, I feel that because of the recruitment issue, this has erupted. It is not because of the recruitment issue alone but because of many complex problems, which we are facing in that region itself. That was the culmination for which these incidents have taken place. I must also mention that because of this issue, various incidents have taken place in Jamalpur area in Bihar where North-Eastern students were manhandled and some of the girls were molested. In fact, they were really treated in a very, very demonic way. I think, both the Houses should condemn these atrocities which have been committed. I must also bring to your notice that due to this incident, it is quite natural that the State of Nagaland should have

reacted after this, by spreading violence in the State. But this was not done, because of the good sense which has prevailed among the leadership in the State. In fact, the Chief Minister, the political leaders, including the Congress Party, the heads of apex bodies, as well as student organisations have appealed to the public to exercise restraint.

We have a lot of Bihari population in Nagaland, but we have restrained our people. I think, a sort of congratulation should be given to the people of Nagaland also, because in the course of discussion we have been talking about Assam and the rest of the North-Eastern Region. We have no apathy towards Assam, because Assam being the gateway to the North-East, it is understandable that all the major headquarters are located in Assam. But that doesn't mean that smaller States, which are also suffering from unemployment problem, should be sidelined. Therefore, Sir, I appeal to the Ministry, not only to the Railway Ministry, but also to the Defence Ministry for its involvement as far as the security is concerned, as well as the Home Ministry and many of the Ministries not to frame policies which are detrimental to the development of the region as a whole. I appeal to the Government that a comprehensive policy should be made as far as the recruitment policy is concerned, keeping in view the regional aspirations of the people, particularly, the people of the smaller States.

We have a Rail Head in Dimapur. We have the major office in Assam. I am sure Assam also will agree that it is not only the Assamese but also the people of different States in the North-Eastern Region, whose unemployment problem has to be addressed.

Thirdly, Sir, there was one comment made by Swaraj Kaushalji. Yes, I know that it was made with good intentions. He said that he disagreed with the fact that there should be a hundred per cent reservation for the local people. I also disagree with that. But the fact that he has made the comment that the people from Darjeeling going to the North-East to look after cows and doing something constructive. He also said that the people of Bihar go to the North-East, and they are the ones who are constructing roads. I think, that is too simplistic a statement. It is, in fact, projecting a very poor picture of the North-East, because we too have a lot of people in the villages of the North-East who are also hardworking, involved in manual labour, who are also involved in road construction, who are

also involved in animal husbandry taking care of herds. I think, this sort of ...(*Interruptions*)...

I know, Mr. Kaushal has said it with good intention, I understand that. What I am saying is that a wrong picture should not be projected to the rest of the country, because, many a times, because of certain comments, there would be a misconception created in the mind of the Centre which does affect the whole process of unity and integrity, the whole process of bringing in coordination between the whole North-East as well as the Centre.

With these few words, I would like to thank you for having given me this opportunity.

SHRI SWARAJ KAUSHAL: Sir, I will just conclude in one minute.

My friend should not please misunderstand. I said it only with good intention. What I said about the people from outside working in the North-East, I say the same thing about the people from Nagaland. When a Naga soldier dies in Kargil, we say he has died protecting us in Kargil. When a Naga policeman guards us in Delhi, we should not disentitle him from other jobs in Delhi. What applies to the North-East applies to the rest of the country. What I said was that 100 per cent reservation will prevent interaction between the two Regions, and the North-East being restrained there, will deny them many job opportunities, if 100 per cent reservation is done in other Regions.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द): उपसभाध्यक्ष जी, आज यह चर्चा आपसे शुरु हुई और कई मित्रों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें एक बात जो सबने स्वीकार की वह बड़ी सराहनीय है। सबने माना कि क्षेत्रीय और जातीय भेद निंदनीय हैं। वे भेद नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, सब ने हिंसा की निंदा की। यह भी एक अच्छा मेसेज गया है। अभी आपने एक प्रस्ताव पारित किया है। वह प्रस्ताव भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपसभाध्यक्ष जी, अगर हम घटनाक्रम पर दृष्टि डालते हैं तो उसको देखते हुए यह हिंसा का संबंध रेलवे भर्ती बोर्ड से और उसके लिए गए निर्णय से संबंधित नहीं लगता है। क्योंकि 9 नवम्बर को वहां भर्ती थी, 11 और 12 नवम्बर को बिहार के जमालपुर, रतनपुर स्टेशन पर कुछ घटनाएं हुई। असम में इसकी कोई प्रतिक्रिया 13 और 14 नवम्बर को नहीं हुई और न 11, 12 नवम्बर को हुई। वहां 12 नवम्बर को असम के अखबारों ने जमालपुर की घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर छापा था। मैं अखबार की आलोचना नहीं करता। लेकिन अखबार के लोगों को भी यह जिम्मेदारी कहीं न कहीं महसूस करनी

चाहिए कि इन संवेदनशील घटनाओं को छापने के परिणाम क्या होंगे। 13 व 14 नवम्बर को वहां कुछ भी खास नहीं हुआ। 15 नवम्बर को जब उल्फा ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके प्रेस में एक वक्तव्य दिया, यह भी एक अजीब बात है कि जो लोग अंडरग्राउंड हैं जो पुलिस के एप्रोच में नहीं आते हैं वे प्रेस कांफ्रेंस करते हैं और प्रेस उनके वक्तव्य को हैडलाइन बनाकर छापता है। उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दीभाषियों को असम से बाहर निकलने का आह्वान किया और निकालने के लिए उन्होंने धमकी दी। वहां का एक छात्र संगठन है - आसू, उसने 17 नवम्बर को बंद का आयोजन किया। बंद का आयोजन बड़ा व्यापक रहा। उसी दिन तिनसुकिया की एक प्लाई फैक्टरी में एक आदमी की मृत्यु हुई। 18 तारीख को फिर तिनसुकिया में तीन लोगों की मृत्यु हुई। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर यह घटना 9 नवम्बर की भर्ती से संबंधित थी तो 9 से लेकर 17 व 18 तक असम में कोई बहुत बड़ी घटना क्यों नहीं हुई। घटना की शुरुआत होती है उल्फा के आह्वान से। घटना की शुरुआत होती है आसू के बंद से। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकेंगे कि उल्फा एक प्रतिबंधित संगठन है और उल्फा पिछले 3-4 साल से असम में मार्जिनलाइज्ड हो गया था, आइसोलेट हो गया था। उनको कोई विशेष प्रश्रय नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भर्ती हुई और भर्ती के बाद बिहार में घटना हुई तो उस घटना को एक राजनीतिक रंग, एक अलगाववादी रंग, एक पृथकतावादी रंग देने की कोशिश जो उल्फा के द्वारा की गई उसका असर वहां के लोगों पर पड़ा और उन्होंने इसी बात को उछाला। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि निश्चय ही भूमि-पुत्र का अपना महत्व होता है, भूमिपुत्र का अपना अधिकार होता है लेकिन भूमिपुत्र की सीमा केवल प्रदेश तक सीमित नहीं होनी चाहिए, भूमिपुत्र यह सम्पूर्ण भारत भूमि है और हम सब उसके पुत्र हैं। उसके किसी भी हिस्से में रहें। हमें याद है जब पंजाब में उग्रवाद शिखर पर था तब कुछ लोगों ने एक यात्रा निकाली थी-शांति यात्रा। उसमें एक नारा लगता था- अमृतसर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हम जब भूमिपुत्र की बात करते हैं तब हमारे सामने भारत माता होती है। हम भारत माता के पुत्र है। इसलिए यह धारणा हमको कहीं न कहीं अंदर तक विभाजित कर देती है, बांट देती है, हमें इस दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। यह जरूर है जो क्षेत्रीय असंतुलन है वह है और वह आज से नहीं है। अगर क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होता तो मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के युवक हिंसा के रास्ते पर नहीं उतरते, वे हिंसा के रास्ते पर नहीं जाते। पूर्वोत्तर राज्यों को विकास के जो अवसर मिलने चाहिए, जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वहां की प्राकृतिक सम्पदा का जिस प्रकार से दोहन होना चाहिए, जिस तरह से वहां की नेचुरल रिर्सोसेस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी योजनाएं नहीं बनीं, उस पर काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एनएचपीसी ने एक रिपोर्ट दी है कि अरूणाचल प्रदेश से ही खाली 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है जो पूरे देश के लिए पर्याप्त है लेकिन अभी 200 मेगावाट से ज्यादा वहां नहीं पैदा हो रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वहां जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको इन्कार न करते हुये, भारत सरकार ने,

माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय अलग बनाया और उसके साथ-साथ एक व्यवस्था दी कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय अपने बजट का दस प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर खर्च करेगा और 31 मार्च को वह पैसा इस्तेमाल में नहीं आता है तो वह अगले साल के लिए इस्तेमाल किया जाये, एक नानलैप्सेबल पूल भी बना दिया।

उपसभाध्यक्ष जी, पूर्वोत्तर राज्य छोटी-छोटी जनजातियों के राज्य हैं। एक राज्य में अनेकों छोटी-छोटी जनजातियां हैं, जहां तक हिंसा का सवाल है हमारे आदरणीय कर्णेन्दु भट्टाचार्य जी बैठे हैं, इसी सितम्बर में माहर और दिमासा के बीच सिलचर में क्या हुआ था, वहां कौन सी भर्ती हो रही थी, किस भर्ती को लेकर हुआ था। अभी कुकीज और कर्बीज में हो रहा है। ये जनजातियों के संघर्ष चलते रहे हैं। जनजातियों के संघर्ष को जो लोग हवा देते रहे हैं वे लोग ही इस घटना को प्रमोट करने वालों में से है, उन्हीं लोगों ने इसको हवा दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें पहल करनी होगी। अच्छा होता इसमें सदन के इतने सदस्यों में से किसी एक ने-अभी माननीय राजीव शुक्ल जी ने कहा कि वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। अभी 4 दिसम्बर को श्री लालू जी गये थे, वे गुवाहाटी गये थे उसके आगे नहीं बढ़ पाये। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आप सीआरपीएफ उपलब्ध करवा देते। ...(व्यवधान)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: सीआरपीएफ का सवाल नहीं है। जो भी नेता जाता है सबको सुरक्षा दी जाती है। इसमें कोई अलग बात नहीं होती है। सुरक्षा चाहते हैं तो सुरक्षा दी जा सकती है। गुवाहाटी में उन्होंने सभा तो की लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाये। ...(व्यवधान)...

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): प्रधान मंत्री और उपप्रधान मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: हां, मैं वह भी कहता हूं। प्रधान मंत्री जी 4 दिसम्बर को ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): लालू जी तो आगे जाना चाह रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: गुवाहाटी से दिसपुर तक गये उसके आगे नहीं गये।

श्री मूल चन्द मीणा: अगर आप लालू जी को सुरक्षा मुहैया कराते तो वे आगे जा सकते थे ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: लालू जी आपकी तरह फोर्स लेकर नहीं घूम रहे थे। ...(व्यवधान)... वे अकेले भीड़ में चले गये थे।...(व्यवधान)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: उपसभाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर दूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए। मंत्री जी आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: उपसभाध्यक्ष जी, 4 दिसम्बर को लालू जी गये थे ...(**व्यवधान**)... 7 दिसम्बर को कोकराझार में ...(**व्यवधान**)... आप सुनिये। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मंत्री जी, आप अपने विषय पर आइये। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): Let us come to the point. *...(Interruptions)...*

प्रो॰ राम देव भंडारी: मंत्री जी, लालू जी 4 दिसम्बर को वहां नहीं गये थे। वे 24 नवम्बर को वहां गये थे। आपको सही तारीख भी याद नहीं है मंत्री जी, आप तारीख ठीक कर लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए। मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the spirit of the debate be maintained. *....(Interruptions)....* I appeal to the hon. Minister that let the spirit is not vitiated. *...(Interruptions)....*

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : कृपया विषय पर आइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यही बताने जा रहा हूं कि कहा गया था कि वहां प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री जी को जाना चाहिए। मैं यही बता रहा हूं कि कोकराझार 7 दिसम्बर को उप प्रधान मंत्री जी गये। जब वे वहां गये थे तो उस समय वहां एंक लाख लोग थे और इतना ही नहीं उप प्रधान मंत्री जी के सामने बी.एल.टी. जैसी आर्गनाइजेशन जो पिछले दस वर्षों से हथियार चला रही थी। डीएलटी के 2623 लोगों ने वहां हथियार डाले और हथियार डालकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने की घोषणा की। उसको इन्कार क्यों किया जाता है? उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा: बोडो का प्राब्लम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: बोडो का प्राब्लम सॉल्व भी किया न। ...(**व्यवधान**)...

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा: अभी तक नहीं हुआ है। बोडो ...(**व्यवधान**)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: बोडो जनजाति पिछले दस साल से संघर्षशील थी, उन्होंने हथियार डाले, उनके लिए अलग से विकास परिषद का गठन किया गया ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): अहलुवालिया जी, प्लीज बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Let him reply.

आप टू दी प्वाइंट जवाब दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: बार-बार यह कहा जा रहा है कि वहां केन्द्रीय सुरक्षा बल मांगे जा रहे थे लेकिन नहीं दिए गए। यह हमारे सामने डिप्लायमेंट की लिस्ट है। 19 नवम्बर के पहले वहां 123 सीआरपीएफ की कम्पनियां थी। जिसमें 10 स्थायी काम में लगी थीं। 113 कम्पनियां मोबिलाइजेशन के लिए खाली मौजूद थी। जहां कहीं भी चाहते उनको डिप्लाय किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। 19 नवम्बर के पहले वहां 23 बटालियन आर्मी थी जिसको मूव नहीं कराया गया। 19 नवम्बर के पहले वहां एक बटालियन असम राइफल की थी, उसको मूव नहीं किया गया जो पहला डिप्लायमेंट हुआ है ...(**व्यवधान**)... 19 नवम्बर को पहली बार जब प्रदेश के राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया, बिहार के राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया तो बिहार और असम के राज्यपालों की संयुक्त अपील पर, ज्वाइंट अपील पर वहां सेना डिप्लाय की गयी और 19 नवम्बर के बाद हिंसा की घटनाओं में नियंत्रण आना शुरू हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 22 और 23 तारीख को मैं स्वयं कोकराझार गया, डिबरूगढ़ गया, बोगोई-गांव गया, धुलियाजान गया। इन सभी जगहों पर गया। बोगोई-गांव जहां वह घटना घटी थी, वहां 6 लोग मारे गए थे। वह कुलियों का इलाका था, कुलियों का गांव था, वहां 6 लोग मारे गए थे। वे 6 लोग उस समय, उस स्थिति में मारे गए जब वहां 9 होमगार्ड के लोग राइफल लेकर और एक एएसआई का आफिसर कारबाइन लेकर मौजूद था लेकिन जब तीन आदमी, तीन मिलिटेंट्स मोटर साइकिल पर पहुंचे और उन्होंने फायरिंग शुरू की तो वे दस लोग वहां से भाग गए। यह रिपोर्ट जब केन्द्र ने राज्य सरकार को दी, तब उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सुरक्षा बलों की बात उठाकर एक संदेश दिया जा रहा हैं। बोगोई-गांव के लोगों ने कहा कि हमें स्टेट पुलिस पर भरोसा नहीं है। यह चीज कहीं न कहीं दूर तक नकारात्मक संदेश देती है। अगर हम बार-बार केन्द्रीय सुरक्षा बलों की बात करेंगे तो केन्द्रीय सुरक्षा बल यथेष्ठ संख्या में थे। वे मोबलाइज होते हैं, उन्हें जहां चाहे वहां मोबिलाइज किया जा सकता था, ले जाया जा सकता था। जैसे 19 तारीख को उनकी पुन:नियुक्ति की गयी, वैसे 17 को की जा सकती थी, 15 को की जा सकती थी, 13 को की जा सकती थी, नहीं की गयी। इसीलिए यह स्थिति बनी। 19 तारीख को जब ये नियुक्तियां शुरू हुई, जब सेना ने कमान संभाली, जब सुरक्षा बल पहुंचे और स्थिति सामान्य बनाने के लिए ...(**व्यवधान**)... मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं बोगोई-गांव पहुंचा तो पहले आदमी हम लोग थे। न असम का कोई मंत्री गया था, न बिहार का कोई मंत्री गया था। बार-बार प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का बात कही जाती है। मैंने असम के मुख्यमंत्री से पूछा कि आप क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से नहीं गए। अगर असम का मुख्य मंत्री सुरक्षा कारणों से नहीं जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री के सामने क्या

सुरक्षा कारण ही होते हैं? ये सवाल उठाए जाते हैं और जानबूझकर इस मसले को राजनैतिक बनाया जाता है जबकि यह मसला राजनैतिक नहीं है। हमें यह महसूस करना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब असम या पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव होते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है तभी इस प्रकार की हिंसा वहां उभरती है। वहां नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे। उन चुनावों में अपना दबाव बनाने के लिए यह हिंसा फैलाई गयी। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री राजू परमार (गुजरात): मंत्री जी इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: बरगोंहाइ जी ने मांग की है ...(व्यवधान)... महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं ये सब बातें कहने के लिए तैयार नहीं था लेकिन बार बार यह कहा जाता कि सुरक्षा बलों के कारण यह हुआ है, गलत है। जितने लोग मारे गए, उन सबके परिवारों को एक एक लाख रुपए दिए गए है। उनके परिवारों को एक-एक लाख रुपए दिए गए हैं, जो चोट खाए हैं उन्हें 25,000 रुपए दिए गए हैं, जिनके घर जले हैं उन्हें 25,000 रुपए दिए गए हैं, जिन्हें साधारण चोट लगी है उन्हें पांच हजार रुपए दिए गए हैं। अभी माननीय तरुण गोगोई जी आए थे, उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा है, दस करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं, जरूरत होगी तो हम दस करोड़ रुपए भी उन्हें देंगे। धन्यवाद।

श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य (असम): असम में...(व्यवधान)... किया है ...(**व्यवधान**)...उन्नीस को शांति स्थापना हुई...(**व्यवधान**)...आप लोगों ने जो ...(**व्यवधान**)...किया है...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): चलिए बैठिए। रेलवे मिनिस्टर।

श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य: असम में ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): यह राज्य सभा है...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: आपकी तारीफ कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please sit down. ...*(Interruptions)*... बैठिए, बैठिए...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: यह राज्य सभा है...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार: यह राज्य सभा है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं है...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRMAN: Mr. Bhattacharjee, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Yes, Mr. Minister. ...*(Interruptions)*...

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत माननीय सदस्य श्री सुरेश पचौरी जी ने की थी और यह बहुत ही अच्छा संयोग है कि आसन पर भी माननीय श्री सुरेश पचौरी जी ही बैठे हुए हैं। जो विषय था, उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को काबू में लाने से संबंधित जो प्रश्न थे, उनके बारे में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री चिन्मयानन्द जी ने प्रकाश डाला है। इस चर्चा के दो हिस्से थे, जिसमें एक तो रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी की चर्चा थी और चर्चा के विषय से ऐसा भ्रम पैदा होता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी के चलते हिंसा हुई। मैं सबसे पहले यह मानने से इंकार करता हूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी के चलते कोई हिंसा हुई। हिंसा के कई कारण हो सकते हैं, उसमें जाना मेरे क्षेत्र के बाहर की बात है। उसके बारे में गृह राज्य मंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। लेकिन जहां तक रेल भर्ती नीति का सवाल है तो रेल भर्ती नीति क्या है, इसे संक्षेप में बताना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे एक भ्रम फैलता है। इस देश में एक बात चल पड़ती है, तथ्य कुछ और होता है और अवधारणा कुछ और बनती है। यही सब जगह बोलने लगेंगे और कुछ दिनों बाद तो यह एक भ्रम बनकर, लोगों की ऐसी धारणा बनकर प्रकट होगी कि बिना समझे ही लोग कहने लगेंगे ''रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी''। रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुकूल होती है। रेलवे सैंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेबलिशमेंट है। इसकी एक मिनिस्ट्री है, इसका एक डिपार्टमेंट है। भारत सरकार सीधे, प्रत्यक्ष तौर पर रेलों का संचालन करती है इसलिए जो नियम पूरे देश के लिए, अन्य मंत्रालयों के लिए लागू हैं वही रेलवे के लिए भी लागू होते हैं। अलग से कोई पॉलिसी तो होती नहीं है लेकिन फिर भी पॉलिसी से नीचे जाएं, उसका तौर-तरीका क्या है, आदि की कुछ बात होती है। रेलवे में नौकरी करने वाले लोगों को चार प्रकार के ग्रुप में बांटा जा सकता है। ग्रुप ए, बी, सी और डी हैं। जहां तक ग्रुप ''ए'' का सवाल है, इनका चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होता है। यू॰पी॰एस॰सी॰ की नौ प्रकार की सर्विसेज हैं, सिर्फ इंडियन रेलवेज के लिए। उन नौ प्रकार की सर्विसेज का नाम लेना आवश्यक नहीं है लेकिन नौ सर्विसेज हैं जिनकी परीक्षाएं यू॰पी॰एस॰सी॰ से होती हैं और तो और रेलवे में नियुक्ति होती है, यहां तो एपरेंटिस का सलैक्शन यूपीएससी करती है मकैनिकल इंजीनियर्स के लिए, वे एपरेंटिस के तौर पर यूपीएससी के द्वारा सलैक्ट होते हैं। ग्रुप ''ए'' तो यूपीएससी से आते हैं, ग्रुप ''बी'' प्रोमोशन का ग्रुप है। कोई अलग से सीधे उनकी बहाली वगैरह नहीं होतीं ग्रुप ''सी'' की भर्ती रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से होती है। अब उसके इतिहास में जाएं तो वक्त बहुत लगेगा। शायद साढ़े छः बजे से कार्यक्रम है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो एक लंबे काल से यह सिलसिला चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने से ही कुछ किया है। उसके बाद कोई सर्विस कमीशन बनाया गया, फिर रेल भर्ती बोर्ड के नाम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पिछले कई सालों से चला आ रहा है। अब ग्रुप ''सी'' की बहाली तो रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से होती है और आज भी हो रही है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई मेरे कार्यकाल में बदलाव है तो सिर्फ इतना ही है कि ग्रुप ''डी'' की नियुक्ति भी रेल भर्ती बोर्ड के

माध्यम से हो रही है। अब रेल भर्ती बोर्ड है क्या? रेल भर्ती इस देश में 19 हैं। देश के कोने-कोने में, विभिन्न हिस्सों में फैले हुए रेल भर्ती बोर्ड है। उसमें से एक रेल भर्ती बोर्ड गुवाहाटी में भी है, एक रेल भर्ती बोर्ड मुंबई में भी है। 19 रेल भर्ती बोर्ड हैं। ये ग्रुप ''सी'' की रेक्रूटमेंट करते रहते हैं। ग्रुप ''डी'' का रिक्रूटमेंट ये पहले नहीं करते थे। ग्रुप ''सी'' और ग्रुप ''डी'' दोनों की रिक्तियां डिवीज़न के स्तर पर रेलवे में होती हैं। ग्रुप ''सी'' का रिक्रूटमेंट रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से होता है। ग्रुप ''डी'' का कैसे रिक्रूटमेंट होता है यह तो रहस्य है। आज आरोप लग रहा है कि रेल मंत्री ने कोई अनर्थ कर दिया। मैं उन आरोप लगाने वालों से आग्रह करूंगा कि जरा पता लगाने की कोशिश करें कि ग्रुप ''डी'' पहले क्या होता था। कैसे भर्ती होती थी। किसी को इसका अता-पता नहीं है। उस जमाने में पहले कैज्युअल लेबर के तौर पर लोग एप्वायंट किए जाते थे। हमारा जो सुपरवाइज़री स्टॉफ है वह कैज्युअल लेबर के तौर पर लोगों को नीचे काम करने के लिए रख लेता था। उनको कुछ दिनों के बाद टैपोरेरी स्टेटस मिलता था। इसके बाद उनको कभी काम मिलता था, कभी काम से बाहर चले जाते थे और इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया में उनमें से कुछ लोगों को स्थायी नौकरी भी मिल जाती थी। कुछ कैंपेशनेट एप्वायंटमेंट्स होते थे। कुछ जीएम साहब रख लेते थे। यानी यही सिलसिला चलता आ रहा है। यह नियम पहले से है। मुझको बहुत हवाला दिया जाता है। अब उस सदन में भी दिया गया, यहां भी दिया गया, बाहर भी दिया जाता है। लोकल एम्लायमेंट एक्सचेंज से नाम लेना है। आज भी नाम लेते हैं। लोकल एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम लेना है, लेकिन हमने पता लगाने की कोशिश की कि हमारी इस नीति से पहले लोकल एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांग करके कितने लोगों को ग्रुप ''डी'' की नौकरी मिली। मैं रेल मंत्री हूं। 15 दिनों से एक्सरसाइज़ चल रहा है। या कह लीजिए कि उससे भी ज्यादा दिनों से एक्सरसाइज़ चल रहा है। मुझे अभी तक आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। आखिर कहां से भर्ती हो रही है। हमारा यही कसूर है कि हमने बता दिया कि नियुक्तियां होंगी और रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से होंगी। और कोई अचानक जिसको कहते हैं कि आसमान से किसी चीज़ को हमने टपका नहीं दिया। मैंने जब-जब रेल बजट पेश किया है तब-तब हमने रेलवे भर्ती बोर्ड पर कुछ न कुछ कहा है। 1998-99 में भी हमने रेलवे बोर्ड पर कहा है। उद्धृत करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। 1999-2000 में भी हमने रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में कहा है। उसमें हमने कहा है कि ग्रुप ''सी'' का सब सुधार दिया गया, ट्रांसपेरेंट बना दिया गया। शंकर राय चौधरी जी नहीं हैं। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के बारे में कहा। रेल भर्ती बोर्ड का रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की कोई बात बता दे तो उसको हम जोड़ने को तैयार हैं। रेल भर्ती बोर्ड में बड़ी धांधली चल रही थी। आप लोग राजस्थान से आते हैं, शायद आपको याद होगा कि रेल भर्ती बोर्ड, अजमेर के अध्यक्ष महोदय यात्रा कर रहे थे। मैं नया-नया रेल मंत्री बना था, मुझको भी पता था कि धांधली होती है। मैंने रोक देने का आदेश दिया था जहां प्रक्रिया है वह वहीं रुक जाए। एक चेयरमैन साहब आ रहे थे। एक लड़के का पैसा ले लिया गया था।

उसने रेलवे विजिलेंस को शिकायत की, चूंकि वे आउटसाइडर थे, इसलिए रेलवे विजिलेंस ने सीबीआई से संपर्क साधा और दोनों ने मिल करके रास्ते में उनका पकड़ लिया। नकद रुपयों के साथ पकड़े गए। आप सब को याद होगा यह 1998 की बात है। उसी के बाद हमने 19 रेल भर्ती बोर्ड में से, दो ऐसे थे जो कि यूपीएससी के माध्यम से कंफर्म थे, बाकी कंफर्म नहीं थे, लेकिन मैंने सब को निकाल दिया। मैं ने बाकी सब को निकाल दिया, डिजॉल्व कर दिया। ...(**व्यवधान**)... अरे भाई, बिहार भी इसी देश में है। आप ने बिहार को अलग कर दिया क्या? तो साहब हम ने उस समय रेलवे भर्ती बोर्डों को भंग किया और नए सिरे से रेल भर्ती बोर्ड में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सरकारी अधिकारियों को एडहॉक लेवल पर लगाया। बाद में जब जस्टिस खन्ना कमेटी की सेफ्टी वाली रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी इस विषय में कहा कि रेलवे ऑफिसर्स को ही रेल भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उस समय यूपीएससी वगैरा से राय लेकर नियम में संशोधन किया गया और अब रेल भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सिर्फ अधिकारी होता हैं। पहले कैसी-कैसी परीक्षा होती थी? कितने दिनों तक रिजल्ट पेंडिंग रहती थी? लोग कैंडीडेट को कलम देते थे, कैंडीडेट को लिखना हो तो उसी से लिखे वरना मत लिखो। बाद में चेयरमेन साहब के यहां उसी कलम से लिखा जाता था। यह कहानी लोग नहीं जानते है। हम ने उस को बंद किया। हम ने पूरे-के-पूरे उस सिस्टम को समाप्त कर दिया और इस देश में शायद पहली बार कार्बनलेस डुप्लीकेट कॉपी रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इंट्रोडयूस की। शुक्ला जी, आप को जानना और जरूरी है क्योंकि आप पत्रकार हैं। आप को तो सब से ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि आप यही नहीं बोलते है, बाहर कॉलम भी लिखते हैं। यहां तो हम लोग समझ लेंगे और टोका-टोकी कर के सुधार भी लेंगे, लेकिन बाहर जो लिख डालते हैं, वह सत्य बनकर लोगों के बीच जाता है। इसलिए आप जरूर जान लीजिए। हम ने कॉर्बनलेस डुप्लीकेट कॉपी इंट्रोडयूस कराई, 19 रेल भर्ती बोड्र्स के ऊपर रेल भर्ती कंट्रोल बोर्ड बनाया और रेल भर्ती के मेंबर स्टाफ की अध्यक्षता में हम ने उस में एडवायजर विजिलेंस को रखा जो कि दिशा-निर्देश देता है। महोदय, जो लड़का कागजात लिखता है, वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वैश्चन है, उस में नीचे भी उग आता है। ऊपर वाली कॉपी एक्जाम सेंटर से सील होकर इवैलुएशन सेंटर पर जाती है और दूसरी कॉपी वहीं से सील होकर दिल्ली आती है। उसे रेल भर्ती कंट्रोल बोर्ड में रखा है। अगर कोई शिकायत करे तो पैंरालल कॉपी से जांच कराते हैं। जब हम ने रेल भर्ती बोर्डो को सुधार करना शुरू किया था तो प्यून से लेकर चैयरमेन तक को-चदल दिया था। जितनी कम्प्यूटर एजेंसीज से उन की डीलिंग थी, उन सब को बदला था और सब बदलने के बाद एक सिलसिला शुरू कराया और ग्रुप ''सी'' में भर्ती को ट्रांसपेरेंट कर दिया जिसका उल्लेख हम ने बजट भाषण में भी किया था। जब मैं दोबारा रेल मंत्री बनकर आया और पता चला कि कुछ Impersonation का की कहानी शुरू हुई है। तो पहले सिर्फ दस्तखत करते थे और दस्तखत का मिलान होता था। हम ने देखा कि सब शिकायत कर रहे हैं कि हमारा सब ठीक है, लेकिन हम को

6.00 P.M.

भर्ती का कागज नहीं मिल रहा है? हम लोगों ने पता लगाया तो बताया कि साहब यह impersonation का केस हो सकता है। हम ने कहा कि यह तो बड़ी मुश्किल बात है, इसलिए अब शुरू किया कि दस्तखत नहीं, 3-4 लाइंस लिखवायी जाती हैं। फॉर्म में भी लिखवायी जाती हैं, एक्जामिनेशन हाल में भी लिखवायी जाती हैं और जब अंतिम सलेक्शन होकर आते हैं, कागज वैरीफिकेशन होता है, उस समय भी मिला लिया जाता है कि impersonation की गुंजाइश नहीं है। महोदय, मेरे किसी साथी ने शायद श्री शर्मा ने एडमिट कॉर्ड की बात कही। उस में जो आज की पद्धति चली आ रही है, उसी में उन का फोटो आ जाता है। जो आजकल लेमीनेटेड होता है, वह आ जाता है, तीन-चार लाइंस लिखते हैं ताकि impersonation को खत्म किया जा सके। तो पूरी ट्रांसपैरेंसी के साथ ग्रुप ''सी'' का पूरे-का-पूरा सलेक्शन होता है। अभी इस में कोई शिकायत नहीं आई है और जो भी शिकायत आती है, उस का निष्पादन पैरालल कॉपी देखकर किया जाता है। तो हम ने ग्रुप ''सी'' के लिए यह किया है और जब देखा कि ग्रुप ''डी'' में बहाली ठीक से नहीं हो रही है, हम ने 99 में तय किया कि इस रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से करेंगे। बीच में फिर हुआ कि जोनल रेलवे के माध्यम से होगा तो तब मैं फिर आया तो मैं ने स्थिति की समीक्षा की। हम ने पाया कि यह जोनल रेलवे को जा रहा है, फिर ये करते क्यों नहीं? पहले चूंकि कैजुअल लेबर की स्कीम थी 1996-97 में निर्णय लिया कि सारे कैजुअल लेबर्स को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर एब्जॉर्ब भी हो गया और यह निर्णय भी हो गया कि अब कोई कैजुअल लेबर के रूप में बहाल नहीं होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, समस्या वहीं से शुरू हुई है। कैजुअल लेबर को पहले विशुद्धतः लोकल आदमी चलाता था। उसे सुपरवाइजरी स्टाफ रख लेता था। ...(व्यवधान).... आप 70 की बात कर रहे हो, 96-97 तक के पहले की स्थिति थी, उसे के बाद कैजुअल लेबर को एब्जॉर्ब किया गया। यह कैजुअल लेबर बहाल करना बंद कर दिया गया और इसके बाद ढंग से बहाली नहीं हो पा रही थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। मैंने चाहा कि यह बहाली होनी चाहिए क्योंकि जब ग्रुप ''सी'' का अच्छे ढंग से हो सकती है तो ग्रुप ''डी'' की क्यों नहीं हो सकती? लेकिन, बाद में बीच में मुझे बदल दिया गया और दुबारा जब मैं इस मंत्रालय में आया तो मैंने इसकी समीक्षा की और यह पाया कि जब इस काम को रेलवे के लोग ही कर सकते हैं तो जीएम या डीआरएम यह ग्रुप डी की नियुक्ति क्यों नहीं करते, जिसका उनको अधिकार है? पता चला कि साहब, वे नियुक्ति नहीं करना चाहते। क्यों करते, करना चाहते? कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र आते हैं कि उनको हैंडल करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता और जब भी नियुक्ति का काम शुरू होता है तो कंपलेंट आनी शुरू हो जाती हैं। अब यह सारा सरकारी अधिकारी ही देखते हैं और यदि कंपलेंट होगी तो कौन झंझट में पड़ेगा कैसे जांच होगी, इसलिए वे सोचते हैं कि छोड़ दो, बहाली मत करो। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी वैकेन्सीज बनी रहीं, पोस्ट खाली रहीं, जिन पर बहाली नहीं हो रही थी। इस साल हमने अपने बजट में कहा था कि 20,000 सेफ्टी केटेगरी के जॉब भरे जायेंगे और उसी में से ये 17,348 वैकेन्सी निकाली गई। जो हमने 20,000 जोब का ऐलान किया था उसमें से 17,348 के लिए देश के कोने से डिफरेंट रेलवे

भर्ती बोर्ड के माध्यम से काम किया जा रहा है। अब सवाल आता है, जैसा कहा गया कि जो असम में बहाली हो रही है, उसमें कहां से कहां का आदमी आ रहा है या उधर मुम्बई में बहाली हो रही है वहां दो हजार किलोमीटर से चलकर आदमी चला आ रहा है। संजय निरूपम जी हैं या नहीं?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: चले गए।

श्री नीतीश कुमार: चले गए, तो पक्के बिहारी हैं। हम लोगो की बिहार में जो आदत है, उसके अनुसार सुनने की आदत कम है, बोलने की आदत ज्यादा है। इस तरह उन्होंने अपने बिहारीपन का परिचय दिया है। अगर वह चले गए तो मतलब वह मुम्बइया नहीं बन पाए, बिहारी जीन्स उनमें बरकरार है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले का कुछ ऐसा नियम था कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से लिया जाय यह नियम था, परंपराएं थीं। निर्वहन हुआ या नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यह वर्ष 1998 का डीओपीटी का सर्कुलर है। यह हमारा किया हुआ नहीं है, जैसा माननीय सदस्य बार-बार बोल रहे हैं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से आपने क्यों बंद कर दिया। इसमें दो बातों का खुलासा बहुत जरूरी है। मैं इन दोनों बातों को एक-एक करके स्पष्ट कर दूंगा और इसके बाद निर्णय आप पर छोड़ दूंगा। यह मई, 1998 का डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल एण्ड ट्रेनिंग का ऑफिस मैमोरंडम है। इसको मैं उद्धृत कर रहा हूं-

The scheme of Employment Exchange procedure came under the judicial scrutiny of the Supreme Court in the matter of Excise Superintendent, Malkapatnam, Krishna District, Andhra Pradesh Versus K.B.N. Vishweshwara Rao and Others 1996 (Arising out of SLP (C) No. 8598-8676 of 1993). The Supreme Court, *inter alia*, directed as follow:—

"It should be mandatory for the requistioning authority establishment to intimate the Employment Exchange and the Employment Exchange should sponsor the names of the candidates to the requistioning department for selection strictly according to seniority and reservation as per requisition. In addition, the appropriate department or undertaking or establishement should call for the names by publication in newspapers having wider circulation, and also display on their office notice boards, or announce on radio, television and Employment News bulletins, and then, consider the cases of all the candidates who have applied."

एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम भी लो, व्यापक प्रचार करके भी लोगों को जानकारी दो और जब सब जगह से नाम आ जाएं तो एकसाथ विचार करो। यह किसी को बुला नहीं रहा है, यह मई, 1998 का डीओपीटी का ऑफिस मैमोरंडम है, जो सभी मिनिस्टरीज पर लागू है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Could you, please, read out the second para again? Does it say 'alternatively?

SHRI NITISH KUMAR: No, not 'alternatively', but 'in addition'.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: But then, Employment Exchange is there.

SHRI NITISH KUMAR: Yes, it is there; it is still there. It has not been scrapped. It is there.

SHRI DIPANKER MUKHERJEE: Have you called for names through the Employment Exchange?

SHRI NITISH KUMAR: Yes, why not? We have sent our requisition to the Employment Exchange also.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: So, it is 'In addition'.

SHRI NITISH KUMAR: Yes, it is 'in addition' to that.

यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको कोट करते हुए डीओपीटी ने गाइडलाइन भेजी हैं। "These orders shall take effect from the date of issue and will not apply to such cases where process of recruitment through Employment Exchange, open advertisements, have been initiated before the same date."

यानि इसके पहले कोई हो गया हो तो बात दूसरी है वरना आगे से यह सब को लागू होगा।

"All ministries, departments are requested to strictly adhere to the aforesaid instructions and also bring to the notice of their attached and subordinate offices for information and compliance." इसके बाद मिनिस्ट्री आफ रेलवे ने सितम्बर में इसी के आधार पर यह सबकी जानकारी में ला दिया। यही कारण है कि अब चाहे किसी भी ग्रेड की बहाली हो, हमें ऐडवरटाइज़मेंट देना पड़ेगा और जब कोई उसके आधार पर ऐप्लिकेशन देगा तो हम उसको अपरचुनिटी से वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री बिहार का है, इसलिए बिहारी वहां जा रहे हैं। रेल मंत्री असम का होगा तो भी बिहारी वहां जाएगा या किसी भी प्रदेश का आदमी वहां जाएगा। समस्या यह है कि आपने कह दिया और बात आ गई कि साहब, आप चाहे इसको डिवीजन लैवल पर करिए, चाहे ज़ोनल लैवल पर करिए, किसी का रिक्रूटमेंट करने के लिए पहले यह प्रोसिजर अपनाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: अनस्किल्ड लेबर के लिए आल इंडिया ऐडवरआइज़मेंट होगा?

श्री नीतीश कुमार: यस सर।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: If it is a Supreme Court directive, if for the unskilled labour you are going to have an all-India advertisement. ...*(Interruptions)*...

श्री नीतीश कुमार: आप लोग तो ज्यादा कानून की बात करते हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आपको ज्यादा जानकारी है।

श्री नीतीश कुमार: यह आप हमको क्यों बता रहे हैं?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Executive must tell the problem if judicial verdict is there. ...*(Interruptions)*... Think about unskilled labour. I am not talking about Group 'A', 'B' and 'C'. I am only talking about Group 'D'. *(Interruptions)*... Do you think, as an Executive, as a parliamentarian, this is practicable? ...*(Interruptions)*...

श्री नीतीश कुमार: दीपांकर जी, हमने सबकी बात सुनी। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। हमने सब लोगों की बात सुनी, यह क्रॉस टॉक की जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह तो अनऐंडिग चलेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: मैंने 20 साल बिताए हैं पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में, I have not heard all-India advertisement for unskilled labour. ...*(Interruptions)*... आल इंडिया ऐडवरटाइज़मेंट देना बड़ा मुश्किल है।

श्री नीतीश कुमार: ये तो बीच में ही बहर गए, बहरना शायद नहीं हुआ कोलेप्स कर गए, इसलिए आप रिएक्ट करने लगे। रेलवे रिक्रूटमेंट पालिसी ऐसी नहीं है कि हमने कोई बवाल खड़ा किया हो। हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको पढ़कर सुना दिया। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़, बीअर विद मी। I have a deep regard for you. Please let me complete. हमको अगर आप नहीं कहने देंगे यहां, आर्टिकुलेट नहीं करने देंगे तो यहां अनर्थ होता रहेगा। इसलिए हमको अपनी पोजशन ऐक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर चर्चा हो रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट अंडर फायर है, रेलवे मिनिस्टर अंडर फायर है तो मुझे अपनी पोजिशन ऐक्सप्लेन करने दीजिए। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पूरी बात सुन लीजिए।

यह तो 1998 से है, आज यह सवाल को उठा रहे हैं। अब चूंकि आपके नोटिस में पहली बार आ रहा है और पहली बार इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार खुलेआम बहाली हो रही है तो आप जान रहे हैं। अरे भाई, खुले आम बहाली के लिए बधाई भी तो देनी चाहिए थी। आपको यह अवसर मिला कि कहीं कोई फलॉ है तो उस फलॉ को हम दुरुस्त तो करें, कानून बनाएं या कोई और प्रक्रिया अपनाएं लेकिन उसे दुरस्त तो करें। हमने अगर 17,000 लोगों की बहाली की है, यह कोई एक जगह की नहीं है, देशभर की है। 15-16 रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से यह नियुक्ति की प्रक्रिया होनी थी, चयन की प्रकिया होनी थी। अब उसके चलते यह बात आई, लोगों को खबर मिली। आप कहते हैं कि ऐम्प्लॉयमेंट दो, ऐम्प्लॉयमेंट दो, तो हमने तो ऐम्प्लॉयमेंट देना शुरु किया और ऐम्प्लॉयमेंट इस तरह से देना शुरु किया कि कोई भी ऐम्प्लॉयमेंट के प्रोसैस के बारे में, रिजर्वेशन आदि के बारे में, लोकल ऐम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई सवाल कह सकता है लेकिन फेवरटिज्म की कोई बात नहीं कर सकता। इसमें कोई गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है फेवरटिज्म की। यहां तक कि पहले ग्रुप ''सी'' में जो इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू को भी चार केटेगरी को छोड़कर के सबका इंटरव्यू भी ऐलिमिनेट किया कि सब्जेक्टिविटी खत्म कर दो। अब ग्रुप ''डी'' का हमने हैंड ओवर कर दिया रेल भर्ती बोर्ड को और वह इसलिए किया कि जब 1998 में, रेल भर्ती बोर्ड को सौंपने वाली पॉलिसी तो आज इम्प्लीमेंट हो रही है, जब यह नहीं थी, तब साउथ-ईस्टर्न रेलवे में, उसके कई डिवीजन थे, बहाली के लिए निकला। आगरा डिवीजन ने, साउथ-ईस्टर्न रेलवे में, उसके कई डिवीजन ने बहाली के लिए नोटिफिकेशन ईशू किया 1998-99 में और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसका पैनल कम्प्लीट हो पाया है 2003 में 1998 में रिक्रूटमेंट के लिए निकलता है कि हम इतने लोगों को बहाल करने वाले हैं and penal was declared in 2003. पॉच साल का वक्त लगा। In Kharagpur, Notification issued in 1998; physical efficiency test held in June 2003. In Khurdaroad, panel is still held up because of a Court case. It is a different thing. Notification was issued in 1998 and panel not yet announced है आप कहते हैं कि दे दो डिविजन को, तो दे दिया डिविजन को। 98 को है, 5 साल हो रहा है नियुक्ति नहीं हो पर रही है और उसके बाद जब हमने एनाउंस किया कि आर०आर०बी० से करेंगे तो जरा उसका भी देख लीजिए।

RRB Chennai conducted selection for 320 posts for Southern Railway through employment notice isued in 1998-99; written examination conducted in October, 1999; and, panel supplied to Southern Railway in the year 2000. चूंकि बीच में हमने दे दिया था पहले 99 में रेल भर्ती बोर्ड को तो उस समय देने के बाद हुआ, दिया और देखिए कितने कम समय में रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा पैनल बन करके तैयार हो गया। IRRB Trivandrum conducted selection for 97 posts for Southern Railway for Scheduled Tribes Shortfall.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मंत्री जी, अब जरा शौर्ट करिए।

श्री नीतीश कुमार: उपसभाध्यक्ष महोदय, प्लीज मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, यह इनकम्पलीट रह जाएगा। यह पूरे के पूरे देश में गलत परसेप्शन पैदा हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष: (श्री सुरेश पचौरी) : मेरा अनुरोध यह है कि...

SHRI NITISH KUMAR: These are factual things.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर उस हाउस में आपने बोला है तो यहां वही न बोलें। लेकिन रिकार्ड पर यह सारी चीजें आ चुकी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस हाउस में आप नहीं बोलें। देखिए, पूरे देश के सामने ये सारे तथ्य आ चुके हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि 6-30 बजे सबको कहीं जाना है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार: कहीं दूर तक नहीं जाएगी बात लेकिन इसको तो बीच में सुन लीजिए। इसको नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। डिविजन को दिया 5 साल लग रहा है, रेल भर्ती बोर्ड को दिया जल्दी हो रहा है। यह बताना जरूरी है देश में मेसेज जाना चाहिए जो संसद के माध्यम से ही जाता है। RRB Trivandrum conducted selection for 97 posts for Southern Railway for ST shortfall. Employment notice issued in December, 2002; written examination conducted in April, 2003; and, panel supplied in May, 2003.

परीक्षा अप्रेल, 2003 में हो रही है और पैनल 2003 में बन रहा है। अब यह प्रकिया ठीक है रेल भर्ती बोर्ड वाली या वह पांच साल वाली प्रक्रिया ठीक है। यह आपको तय करना है। मुझको लगा कि रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से करना चूंकि रेल भर्ती बोर्ड डेजिनेंटिंग एजेंसी है ग्रुप ''सी'' का काम कर रही है वहीं ग्रुप ''डी'' का काम करेगी। लेकिन अगर हम डिविजन के लेविल पर भी करेंगे तो हमको वेकेंसीज एडवेरटाइज सब को करना है इसको लेने में। अब एक बात आ जाती है। बार-बार यह बात आ जाती है कि बिहार के लोग इतना हो गए। दूसरा परसेप्शन यह बनाने की कोशिश हो रही है। चूंकि मैं बिहार के किसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं और इस नाते इस बात की भी सफाई होनी चाहिए। किसी को भ्रम पैदा नहीं करने दिया जाएगा। अब यह बात आ रही है कि आर०आर०बी० गोहाटी, एन०एफ० रेलवे की वेकेंसी उनके पास ग्रुप-डी की है। जो नौर्थ फ्रंटियर रेलवे है उसमें 5 डिविजन हैं। तिनसुखिया है, लम्बरिंग है, रंगिया अभी ऑपरेशनलाइज किया है, अलीपुर द्वार और कटिहार है। कटिहार बिहार ओर पश्चिम बंगाल में, अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल और असम में है। रंगिया असम में है। तिनसुखिया और लम्बरिंग असम में है। यहां पर श्री द्विजेन्द्र नार्थ शर्मा ने ठीक कहा, उन्होंने आंकड़े दिए जो लगभग सही है कि 64 परसेंट के करीब, 63.7 परसेंट उनका रूट किलोमीटर असम में पड़ता है। लेकिन एन०एफ० रेलवे की पूरी की पूरी वेकेंसी है और उसकी

परीक्षाएं कटिहार में भी हो रही थी, अलीपुरद्वार में भी हो रही थी, असम में भी हो रही थी और यह कौन कहां जाएगा इसका निर्धारण राज्य के आधार पर नहीं हुआ था, रैंडम कम्प्यूटर से सलेक्ट हुआ था। बिहार का लड़का असम में देने जा रहा है, असम का लड़का बिहार के सेंटर में बैठने जा रहा है। विवाद वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद दो परीक्षाएं तो पीसफुल हुई 9 नवम्बर को और 16 नवम्बर को। लेकिन वहां के मुख्य मंत्री जी को, वहां की सरकार का अनुरोध था, हमने मुख्य मंत्री जी से भी बातचीत की उन्होंने अनुरोध किया कि अभी फिलहाल परीक्षाओं को टाल दिया जाए। उसको टाल दिया गया। लेकिन कई तरह की बातें वहां चलाई जा रही है। एन०एफ० रेलवे या कोई भी रेलवे किसी एक राज्य में नहीं है। हमारे 16 जोन हैं। कुछ सदस्यों ने चर्चा करदी और वे छोटे जोन हो गए। छोटे जोन होने के बाद भी हमारे 16 जोन हैं। इसमें से कोई भी ऐसा जोन नहीं है जो किसी एक प्रांत में सीमित हो। हमारे 67 रेलवे डिविजंस हैं। जिसमें 18 रेलवे डिविजन ऐसे में जो किसी एक राज्य के अंतर्गत ही हैं। बाकी 49 रेलवे डिविजन ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों में हैं। अब रेलवे का काम ऐसा है - कहां-कहां इसको ले जाएंगे। छोटे-छोटे टुकड़ों में रेलवे था उसको मिला करके एक भारतीय रेल बनाया गया। अब कैसे स्थानीय लोगों को प्रश्रय दिया जाए यह एक विषय है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बारे में गंभीर चर्चा हुई। आपने कुछ सवाल उठाये हैं। लेकिन किसी की नीयत नहीं रही है कि कहीं का लड़का कहीं चला जाये। वह परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र है। कहीं जा रहा है तो ठीक है। अगर किसी का सलेक्शन हो रहा है तो ठीक है।

आसाम में यह बात चलाई गई। अभी आपने कहा कि इतने परसेंट लोग, जो आसाम का फिगर दिया जो बिहार का फिगर दिया। देखिए, अगर आप इस प्रकार का फिगर देते हैं तो इससे ऐसी ध्वनि निकलती है चूंकि बिहार का रेलवे मिनिस्टर बैठा हुआ है इसलिए उसने एन०एफ० रेलवे में बीस परसेंट किया, 22 परसेंट बिहारी लगा दिए। आप यह फिगर बना रहे हैं जबसे एन.एफ. रेलवे है जितने लोग एन.एफ. रेलवे में काम कर रहे हैं उन सभी के आपने आंकड़े दिए हैं, लेकिन यहां के बाहर जायेगा कि रेल मंत्री बिहार का था इसलिए एन०एफ० रेलवे में 22 परसेंट या 25 परसेंट जो भी आपने आंकड़े दिये हैं बिना वेरीफाई किये, उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं लेकिन चूंकि हम लोग इसके आंकड़े नहीं रखते हैं, डोमिसाइल के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, कौन किस राज्य का है इस आधार पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। आप कोई सवाल उठायेंगे तो आंकड़े इकटठे करने पड़ेंगे। लेकिन बिहार के लोग हैं तो वह पहले से ही हैं। बंगाल के लोग हैं तो पहले से हैं हमने वहां किसी को नहीं घुसा दिया है। जो भी वहां पर नियुक्तियां मेरे कार्यकाल में हुई होंगी या रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से हो रही हैं, ये खुली भर्ती के आधार पर हो रही हैं, मैरिट के आधार पर हो रही है। हमारे पास लोग मिलने गये थे। वहां तो यह चला दिया कि कोई सरनेम ''कुमार'' करके पैनल आया था, वह बाजाफता सलेक्टिड पैनल ट्रेनिंग के बाद नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। जब माहौल खराब होता है तो क्या-क्या होता है। 2002 को पुराना पैनल ट्रेनिंग पा करके डयूटी ज्वाइन करने जा रहा है

उसकी किसी ने लिस्ट छापी। देखिए साहब इसमें तो इतने ''कुमार'' हैं। अगर मेरा नाम नीतिश कुमार है। लेकिन ''कुमार'' न किसी जाति का सरनेम है, न किसी रीजन का सरनेम है, कहीं का नहीं है। केरल में भी ''कुमार'' हैं, बिहार में भी ''कुमार'' हैं, पंजाब में ''कुमार'' हैं। आपको कहीं भी ''कुमार'' मिल जायेंगे। ''कुमार'' कोई सरनेम नहीं है। अपरकास्ट में भी ''कुमार'' हैं, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ट ट्राइब्स में भी ''कुमार'' हैं, आपको ओ.बी.सी. में भी ''कुमार'' मिलेंगे। माहौल को खराब कर दिया गया है। जो भी ''कुमार'' हैं, वे नीतीश कुमार के कुल-खानदान के हो गये। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माहौल को सुधारिये। हम सब के लिए नहीं है। अगर नियुक्ति में किसी प्रकार की धांधली हुई है तो मैं किसी धांधली की जांच कराने के लिए हर समय तैयार रहूंगे। हम तो चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी बने जिससे कि सबको मौका मिले, सबको अवसर मिले। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर स्थानीय स्तर पर कुछ करना है तो इसके लिए बहुत विचार करना पड़ेगा। जब स्थानीय अवसर होगा, तो रेलवे का भी काम समझ लीजिए। स्थानीय का मतलब रेलवे ट्रैक मैन की अगर जरूरत है तो ट्रैक के अगल-बगल के गांव वाले लोग स्थानीय होंगे। लिस्ट वाले स्थानीय नहीं होंगे कि कहीं किसी दूसरे जिले से बना दिये। ये भी एक प्रश्न है। इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। रेलवे को तो सबसे अच्छा होगा कि अगल-बगल के गांव वाला आदमी ट्रैक मैन बन जाये। जो आपने कहा है कि बिहार का जायेगा, कहां रहेगा, कहां खायेगा, जो आप इस तरह के सवाल उठा रहे थे तो रेलवे का जो काम है वह अलग किस्म का काम है। मुझको भी लगता है कि यह रेलवे के हित में है। जो कैजुअल लेबर की पुरानी परम्परा थी, उससे स्थानीय लोगों का इनटैक होता रहता था। ऐसे कई आप्शन हमारे सामने हैं। इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है जिसके आधार पर डीओपीटी ने गाईड लाइन्स इश्यु की हैं। इसके बारे में भी उस मंत्रालय में विचार मंथन करना होगा। रेलवे का काम अलग किस्म का है। उपसभाध्यक्ष महोदय, रेलवे सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, किसी ने भी अगर कहा हो और रेलवे पूरे देश को जोड़ने वाली संस्था है और रेल मंत्री की कुर्सी पर चाहे जितने दिन के लिए भी कोई बैठे, वह पूरे देश का होता है। वैसे तो आप और हम किसी न किसी प्रांत के हैं। आज तो हम बिहार के हैं। पूरा का पूरा कहीं बिहारी काम कर रहा है तो इसके बारे में बहुत लोगों ने बताया। एक मिनट के लिए कभी-कभी उस बात का जवाब देने की इच्छा होती है। आप कहीं भी चले जाइये वहां आपको बिहारी मिल जायेगा। मैं तो बिहार में मजाक में कहा करता हूं कि अगर चांद पर बहाली का अखबार में निकल जाए कि चांद पर नौकरी मिलने वाली है तो चांद पर जाने वाले किसी राकेट या यान में उनकी लाइन लग जायेगी। यह कोई बात है, स्वभाव होता है, आदत होती है, वह आप कहीं निकाल दोगे जाने को तैयार होगा। लेकिन बिहारी अगर कम्पीट कर रहा है तो क्या वह मेरे चलते कर रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): ठीक है। शत्रुध्न जी की कीर्ति सब जगह पर है।

श्री नीतीश कुमार: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। इतना बड़ा श्रेय मुझको मत दीजिए। राम देव भंडारी जी को तकलीफ हो जायेगी। जो यू॰पी॰एस॰सी॰ में बिहार के लड़के कम्पीट करते हैं क्या वे मेरे चलते करते हैं? सब जगह जो कलेक्टर, एस॰पी॰ बन रहे हैं, क्या वे मेरे चलते बन रहे हैं?

प्रो॰ राम देव भंडारी: नालन्दा का कुछ ज्यादा हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री नीतीश कुमार: एम मिनट जरा ठहर जाइए अहलुवालिया जी। आप तो मल्टी स्टेट आदमी हैं, अपनी बात एक्सप्लेन कर चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए कुल-मिलाकर यह आरोप लगाना और रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को घेरे में लाकर रेल मंत्री को घेरे में ला देना गलत है। मैंने यह बात माननीय सदस्यों से कही है। महोदय, समय इजाजत नहीं देता है लेकिन क्या क्या अनर्थ, क्या क्या अन्याय मेरे ऊपर असम में ढाया गया - ए सैक्शन ऑफ मीडिया ने - इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे बारे में कह दिया गया "Nitish inflamed passion". इतना असत्य चला है। रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से बहाली किसी की हो रही है और कहा जा रहा है कि इसने बहाली करा दी। इस सदन से संदेश जाना चाहिए कि पूरे तौर पर रेल भर्ती बोर्ड के नियुक्ति के मामलों में पारदर्शिता है और अगर किसी माननीय सदस्य को लगता है कि इसमें और ज्यादा सुधार होना चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसा होना चाहिए। अनइम्पलायमेंट की समस्या है। कई लोगों ने कहा कि यह क्या बात है? 17348 की बहाली है और 72 लाख लोगों ने दरख्वास्त की है? 54 लाख लोगों के एप्लीकेशन बैलिड पाए गए हैं और वे लोग अपीयर हो रहे हैं। आप तो इंजीनियर कह रहे हैं, मुझे तो मालूम हुआ है कि एमबीए किए हुए लोग भी इसमें अप्लाई कर हो हैं। अरे भई, तब क्या करें? बंद कर दें इसको? अगर कोई ज्यादा क्वालीफाइड है, उसके आधार पर तो किसी को रोक नहीं सकते हैं। बेसिक क्वालीफिकेशन आठवीं पास है। कोई और आ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी की बड़ी जटिल समस्या है। सब मिलकर दूर करिए। रेलवे इसके लिए जवाबदेह नहीं है। अगर रेलवे की आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो निन्दा भी नहीं कर सकते। प्रशंसा होनी चाहिए थी कि सागर की एक बूंद के समान ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह पूरी पारदर्शिता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जहां कहीं से भी कोई गुंजाइश निकल आए तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन आपस में संघर्ष, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप अनुचित है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से और सदन से विशेष तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि आज हम सब लोगों ने जो प्रस्ताव यहां स्वीकृत किया है, उसकी भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ें। समस्या जैसी भी जटिल हो, उसका रास्ता जरूर निकलता है। हिंसा से किसी समस्या का रास्ता नहीं निकलता। हिंसा की निन्दा करें और बातचीत से आगे का रास्ता तय करें। धन्यवाद।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Vice-Chairman, Sir, we have listened to the entire debate. ....(*Interruptions*) Mr. Vice-Chairman, sir, we have listened to the entire debate in this House and the sentiment of the House has been expressed in the Resolution. We have listened to the two hon. Ministers. Now, people from North Eastern Region are waiting here because of this deliberation. Some message will be there that we have condemned, we have denounced the violance; we have denounced the parochialism through our Resolution. That is also good. But, what would be the message for a permanent solution of a National Policy? So, far, there has been no direction from this Chair to the Government that the Government should come forward with a National Policy, or, there should be a dicussion, a debate on the National Policy. If there is no outcome, if we go on like that, only just discussing and condemening something, there would be no permanent solution. We cannot go empty handed after deliberation of so many hours. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, the discussion is over. The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow, the 18th December, 2003.

The House then adjourned at twenty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 18th December, 2003.

MGIPMRND—5043RS—07-05-2004.